



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 22, मंगलवार, शाके 1942- मई 12, 2020
Vaisakha 22, Tuesday, Saka 1942- May 12, 2020

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

गृह (गुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 12, 2020

एस.ओ.244 :-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 की निरन्तरता में, राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 1) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट कृत्यों को प्रतिषिद्ध करने वाले आदेश या विनियम के अतिक्रमण द्वारा उक्त अध्यादेश की धारा 4 के अधीन कारित अपराधों का, उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में वर्णित अपराध एवं स्तंभ 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट रकम पर शमन करने हेतु, सहायक पुलिस उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों को भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, इसके द्वारा प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

क्र.सं.	अपराध	रुपये में रकम, जिसके लिए अपराध का शमन किया जाना है
1	2	3
1.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्य स्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	200/- रुपये
2.	कोई दुकानदार द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करना।	500/- रुपये
3.	कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर।	200/- रुपये
4.	कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाया जाने पर।	500/- रुपये
5.	कोई व्यक्ति जो पान, गुटका या तम्बाकू का विक्रय करता हुआ पाया जाने पर।	1000/- रुपये
6.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नहीं रखता है।	100/- रुपये

[सं एफ.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,
राजीव स्वरूप,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

Home (Gr.V) Department Notification

Jaipur, May 12, 2020

S.O. 244 :-In continuation of this department's notification even number dated 03.05.2020, in exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020 (Ordinance No.1 of 2020), the State Government hereby also authorizes Assistant Sub-Inspector of Police and above Police Officers, within their respective jurisdiction, to compound the offences committed under section 4 of the said Ordinance, by violating the order or regulation prohibiting the actions specified in column 2 of the schedule given below for the amount specified against each of them in column 3 of the said schedule.

Schedule

S.N.	Offence	Amount in Rupees for which the offence is to be compounded
1	2	3
1.	Any person not wearing face mask or face cover (nose and mouth covered properly) in public or work place	Rs. 200/-
2.	Selling any item by a shopkeeper to a person not wearing face mask or face cover	Rs.500/-
3.	Any person found spitting in public place	Rs. 200/-
4.	Any person found consuming liquor in public place	Rs. 500/-
5.	Any person found selling <i>paan</i> , <i>gutka</i> or tobacco	Rs. 1,000/-
6.	Any person not maintaining social distancing (minimum 6 feet from the other person) in public place	Rs. 100/-

[No.F. 9(16) Home-5/2020]

By order of the Governor,
Rajeeva Swarup,
Additional Chief Secretary to Government.

—————
Government Central Press, Jaipur.